राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकःप.9(28)राज.–6/2018/80 जयपुर, दिनांकः 18.04.2022

–ःअधिसूचनाः–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90 की उप–धारा (3–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांकःप.9(28)राज.–6/2018/ 22 दिनांक 03.04.2018, जिसके द्वारा काश्तकारों की खातेदारी एवं गैर–खातेदारी की सिचिंत कृषि भूमि पर देय लगान (भू–राजस्व) को (खरीफ संवत 2075) वितीय वर्ष 2018–2019 से मुक्त किया गया था, की निरंतरता में राज्य सरकार एतदद्वारा काश्तकारों की खातेदारी एवं गैर–खातेदारी की सिचिंत कृषि भूमि पर वितीय वर्ष 2018–2019 (खरीफ संवत 2075) से पूर्व का बकाया देय लगान (भू–राजस्व) माफ करती है।

पहले से ही संदत किये गये लगान (भू–राजस्व) का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

18/04/2022

(रामचरन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
7. आयुक्त, भू–प्रवंध एवं जागीर, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निवन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 18.04.2022 में प्रकाशन हेतु।
12. रा.वि.रा.राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
13. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

18/04/2022
शासन उप सचिव